सुभाष चन्द बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा 225 मु.नं0 37 वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
24-4-18	अपील दर्ज रजिस्टर हो। [illegible] पत्रावली पेश पर सुना गया। वकील अपीलार्थी के कथनों से प्रथम दृष्टया सन्तुष्ट होते हुये न्याय हित में आगामी तारीख पेशी तक अपील को पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित [illegible] एवं मौके आराजी की [illegible] बनाये रखे। की [illegible] आने पर प्रकरण [illegible] अवसर अपीलार्थी [illegible] आदेश स्वत: चाहेगा तो [illegible] माना जावेगा। [illegible] नोटिस [illegible] रजि0 [illegible] पेश हो। पत्रावली [illegible] में पेश हो। [illegible] 11-6-18 को पेश हो।	1315-1321 नोटिस 15.5.18 जारी 1322 तहरीर 15.5.18
	[signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	[signature] CTA 11/6/018
11-6-18	पत्रावली पेश की गई। वकील अपीलांट श्री अमित शर्मा Ad उप0/ सरकारी पैरोकार श्री विरेन्द्र सिंह जी Ad उप0/ तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमति दमयंती कंवर स्वयं उप0/ सरकारी पैरोकार एवं तहसीलदार (भू.अ.) ने आवेदन पेश [illegible] किया कि हस्तगत प्रकरण	[signature] 11/6/18 TDR JJN

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अदालत मातहत ने जो निर्णय दिनांक 15/3/18 को पारित किया है, वह धारा 131 Raj L.R Act 1956 के तहत Land Records officer की हैसियत से पारित किया गया है। ऐसे आदेश की अपील LRAct की धारा 75(f) के तहत Director Land Record officer को प्रस्तुत की जायेगी जिसके अधिकार संभागीय आयुक्त महोदय को हैं। अतः यह अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। (P.82)

आगे उन्होंने RRT 2017(1) की कानूनी नजीर पेश कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपील दर्ज होने के बाद अदालत की जानकारी में आने पर अदालत विधि के विरुद्ध का नोटिस ले सकता है। बहस के दौरान इसी प्रकार का कथन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने क्षेत्राधिकार बाबत बहस का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि Third Schedule के RTAct 1955 की के तहत के क्रमांक 81 व 81 A के तहत अपील सुनने का अधिकार अदालत हाजा को है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जाहिर किया कि धारा 225 R.T Act के तहत SDO के आदेश की अपील अदालत हाजा (RAA) में ही संस्थित होगी।

लगाता

कर लिया गया है, तो अब यह कानूनी बिंदु नहीं उठाया जा सकता है। उक्त आधार पर अपील योग्य है। ऐसे में आवेदन खारिज किया जावे।

आवेदन पत्र का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत कानूनी नजीर का भी अवलोकन किया।

हस्तगत प्रकरण में SDO झुझुर (अधीनस्थ न्यायालय) ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दि 10.8.2016 के तहत सशक्त किए जाने पर Raj. Land Revenue Act 1956 की धारा 131 के तहत Land Record officer की हैसियत से कार्यवाही की गई है न कि न्यायालय के रूप में कार्यवाही की गई है। उक्त धारा 131 में भू प्रबंध अधिकारी को भू प्रबंध संक्रियाओं (Settlement Operation) के बंद होने के बाद सभी परिवर्तनों को नक्शा में लेने का दायित्व है। प्रचलित स्थायी रास्ता जो मौके पर चालू को भी राजस्व अभिलेख में अंकन करने का कार्य Land Record officer के कर्तव्यों के तहत आता है। प्रस्तुत प्रकरण में अधिकारी तहसीलदार द्वारा रास्ते के चालू होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके

SDO ... L.R. officer

द्वारा RTAct की Third Schedule
के क्रमांक 81 एवं 81 A बाबत
जो कथन किये हैं वे धारा 251, 251A
RT Act बाबत हैं जो कि हस्तगत
प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।
SDO सूरसागर द्वारा किया गया आदेश
Land Record Officer की हैसियत
से किया हुआ है, न कि
धारा 251, 251 A के तहत
पारित किया हुआ है। अतः
अपीलार्थी के अभिभाषक की यह
दलील मानने योग्य नहीं है।
हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में
पोषणीय नहीं होगी, LR Act की
धारा 75 (f) के मुताबिक
Director, Land Records को
पेश की जायेगी, जिसकी शक्तियां
वर्तमान में Divisional Commissioner
के पास निहित हैं।
उक्तानुसार कानूनी विवेचन के
आधार पर न्यायालय का यह
विनम्र मत है कि हस्तगत
अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय
नहीं है क्योंकि यह क्षेत्राधिकार
में नहीं है। अतः पोषणीयता
(Maintainibility) के आधार पर
अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार विहीन होने से
खारिज की जाती है। प्रस्तुत कानूनी
नज़ीर के परिप्रेक्ष्य में कानूनी
स्थिति को न्यायालय द्वारा कभी भी

37/18 सुभाष - सरकार (3)

दिनांक	आज्ञा पत्र	
लगातार	स्वतंत्र है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। [signature] 11/6/18	